महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष/मदसविवि/2026/ 3948 दिनांक:- 16.07.26

शुद्धि-पत्र

विद्या परिषद की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 09 को " उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।" के स्थान पर "प्रकरण पर विचार-विमर्श कर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रांक D-O-/No-1-6/2007 (CPP-II) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की अनुपालना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रेषित पत्र के साथ संलग्न गाईडलाइन के बिन्दु संख्या 02, 03, 04 एवं 05 को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।" पढ़ा जाये ।

उक्त शुद्धि-पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

कुलसचिव

RajKaj Ref No.: 23440729
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Designation : Additional Registrar
Date: 2026.07.16 15:04:14 IST

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ 13 (   ) शैक्ष/मदसविवि/2026/4071   दिनांकः- 17.07.26

शुद्धि-पत्र

विद्या परिषद की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 06 एवं 07 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

निर्णय संख्या 06	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
निर्णय संख्या 07	उक्त अध्यादेश के बिन्दु संख्या 5.2 में **"Serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. "** के स्थान पर **"Only serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. "** का संशोधन करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

उक्त शुद्धि-पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

कुलसचिव

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 82वीं बैठक

दिनांक 18 जून, 2026

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 82वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18 जून, 2026 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू महोदय	अध्यक्ष
2. प्रो. सुभाष चन्द्र, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
3. प्रो. मोनिका भटनागर, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
4. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
5. प्रो. मिलन यादव, प्राचार्य, राज. महाविद्यालय, पुष्कर एवं संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
6. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
7. प्रो. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
8. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
9. प्रो. सुचेता प्रकाश, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
10. प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग	सदस्य
11. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
12. श्री शक्ति सिंह राठौड,	सदस्य
अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
13. प्रो. सावन कुमार जांगीड, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	सदस्य
14. प्रो. हरसुख राम छारंग, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागौर	सदस्य
15. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-</u>

1. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2. प्रो. प्रेरणा जैन, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
3. प्रो. मनोज बहरवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य

सर्वप्रथम कुलगुरू महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया तदुपरांत कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27.01.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (81) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2026/4206-225 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 81 वीं बैठक दिनांक 27.01.2026 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-01)	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 03	कुलगुरू महोदय के निम्नांकित आदेशों का अभिलेख/पुष्टि करनाः- (1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विद्यार्थी हित में विश्वविद्यालय में MCA (Data Science), Certificate Course in Artificial Intelligence and Certificate Course in Cyber Security को लागू किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत कुलगुरू महोदय को प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत दिनांक 21.05.2026 को अनुमोदित किया गया । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 21.05.2026 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 13 ( ) शैक्ष-I/ मदसविवि/ 2026 दिंनांक 29.05.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-02) जारी की गयी । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 21.05.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	

	(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के संगीत, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग एवं गृहविज्ञान विषय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा स्कीम इत्यादि के संबंध में आ रही कठिनाईयों के समेकित निवारण हेतु कुलगुरू महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 07.02.2026 को सम्पन्न हुई । विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत कुलगुरू महोदय को प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत दिनांक 09.02.2026 को उक्त समिति के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट-03) का अनुमोदन किया गया । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 09.02.2026 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 13 ( ) शैक्ष-I/मदसविवि/ 2026/ 5424-428 दिनांक 10.02.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-04) जारी किया गया अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 09.02.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में नियुक्त संकायाध्यक्षों का कार्यकाल दिनांक 11.02.2026 को समाप्त होने पर संकायाध्यक्षों की नियुक्ति का प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत कुलगुरू महोदय को प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत दिनांक 05.02.2026 को पूर्व में नियुक्त संकायाध्यक्षों को पुनः एक वर्ष हेतु नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 05.02.2026 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 13 ( ) शैक्ष-I/मदसविवि/ 2026/ 5430-5965 दिनांक 10.02.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-05) जारी किया गया । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 05.02.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	

	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय में लम्बे समय से एम.ए. अंग्रेजी के अध्यापन की अति आवश्यकता के दृष्टिगत विद्यार्थी हित में, विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से अंग्रेजी विभाग की स्थापना किये जाने एवं अंग्रेजी विभाग में स्ववित्त पोषित स्कीम (Self Finance Scheme) के अंतर्गत एम.ए. अंग्रेजी कोर्स प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त प्रस्ताव को दिनांक 13.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 13.05.2026 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 13 ( ) शैक्ष-I/मदसविवि/2026 दिनांक 18.05.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-06) जारी किया गया । अतः कुलगुरू महोदयं के आदेश दिनांक 13.05.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी तथा निर्णय लिया गया कि विभाग को नियमित किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये ।	
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 से अण्डर ग्रेजुएट की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली द्वारा आयोजित की जा रही है। इसी तरह आगामी सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आयोजित की जानी है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाने एवं परिणाम घोषित किये जाने तथा नियमित से स्वयंपाठी तथा स्वयंपाठी से नियमित करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, जिन विद्यार्थियों के 1 से 5 सेमेस्टर तक कोई पेपर बकाया है तो उसे सेमेस्टर 6 में प्रोन्नत किया जाये ताकि विद्यार्थियों का समय खराब न हो, NEP 2020 के अन्तर्गत परीक्षा में 'अनुचित साधन (UM) का प्रयोग' के प्रकरणों पर दण्ड देने हेतु व्यवस्था तथा एम.एससी.व अन्य Non&NEP (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम इत्यादि के निवारण हेतु समय–समय पर परीक्षा सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई। जिसकी संस्तुति दिनांक क्रमशः 16.02.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-07) की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 761-1165 दिनांक 18.02.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-08) एवं संस्तुति दिनांक 18.04.2026	परीक्षा नियंत्रक

	(कार्यसूची का परिशिष्ट-09) के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक 38648 दिनांक 09.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-10), क्रमांक 38059 दिनांक 09.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-11) तथा क्रमांक 38586 दिनांक 09.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-12) जारी किये गये । परीक्षा सलाहकार समिति की उक्त अनुशंसायें दिनांक 16.02.2026 एवं 18.04.2026 जो कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित 2020) की धारा 19(18) के तहत अनुमोदित हैं, विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत बी.कॉम. पार्ट-III सेमेस्टर Vth परीक्षा दिसम्बर, 2025 का परीक्षा परिणाम पहली बार जारी किया जाना है । इसका डमी/सैम्पल टी.आर. देखने के दौरान परीक्षा शाखा की जानकारी में आया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है, जो कि सेमेस्टर-I के बकाया पेपर लेकर प्रविष्ठ हुए है तथा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाये हैं । यह विद्यार्थी प्रथम बार सेमेस्टर- I में दिसम्बर, 2023 में प्रविष्ठ हुए थे, तद्नुसार इनका वर्तमान मे यह तीसरा (1+2) अवसर है । अतः इसके परिणाम घोषित किये जाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु परीक्षा सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09.06.2026 को आयोजित की गयी जिसकी संस्तुति दिनांक 09.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-13) व कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश क्रमांक 38821 दिनांक 11.06.2026 जारी किये गये । (कार्यसूची का परिशिष्ट-14) परीक्षा सलाहकार समिति की उक्त अनुशंसा दिनांक 09.06.2026 व कार्यालय आदेश क्रमांक 38821 दिनांक 11.06.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	

	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय में स्थापित सिन्धु शोध पीठ के संचालित सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सिंधी में प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 1,000/- प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था (कार्यसूची का परिशिष्ट-15) । उक्त सर्टिफिकेट प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क के साथ लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपोजिट राशि रूपये 500/- प्रति विद्यार्थी नहीं लिया जा रहा था । पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से पूर्व में लागू शुल्क राशि रूपये 1000+500 लाईब्रेरी सिक्योरिटी डिपोजिट, कुल राशि रूपये 1500/- प्रति विद्यार्थी शुल्क लिये जाने एवं राशि रूपये 1500/- का वर्गीकरण किये जाने का प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रस्ताव को कुलगुरू महोदय के आदेशानुसार प्रवेश शुल्क निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । समिति का कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट-16) कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने पर कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त कार्यवृत्त को दिनांक 21.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 21.05.2026 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( ) सिशोपी/मदसविवि/2026 दिनांक 10.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-17) जारी किया गया । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 21.05.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	निदेशक सिन्धु शोध पीठ
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत Professor of Practice (Honorary) के चयन हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 05.06.2026 में डॉ. राधेश्याम चौयल को Professor of Practice (Honorary) के पद पर 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक नियुक्ति प्रदान करने की अनुशंसा की गई जिसकी अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2026/ राजकाज आईडी नम्बर 22669300 दिनांक 05.06.2026 के द्वारा डॉ. राधेश्याम चौयल को Professor of Practice (Honorary) के पद पर 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्रदान की गयी है ।. (कार्यसूची का परिशिष्ट-18)	संस्थापन

	कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया । अतः मद विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि प्रस्तुत है ।	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के योग विभाग में संचालित Master in Yoga Studies & Therpy Management की पात्रता में परिवर्तन का प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त प्रस्ताव को दिनांक 03.06.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया । कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 03.06.2026 की अनुपालना में कार्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक यो.वि./मदसविवि/2026/3211 दिनांक 15.06.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-19) जारी की गयी । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 03.06.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	योग विभाग
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अध्यादेश 124.12 Registration of candidate for the Ph.D. degree and date of registration 124.1.1-A candidate who has successfully completed the course work consisting of three papers will be eligible to prepare the synopsis in the format as per Appendix-V of the research work in consultation with the supervisor. के आधार पर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र तथा शोध प्रारूप format Appendix-V (कार्यसूची का परिशिष्ट-20) में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त प्रस्ताव को दिनांक 02.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 02.05.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि प्रस्तुत है ।	शोध

निर्णय — पुष्टि की गयी ।

(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> योग शिक्षा की बढ़ती मांग, स्वास्थ्य एवं समग्र स्वास्थ्य विज्ञान में जनता की बढ़ती रूचि, तथा योग-आधारित व्यावसायिक अवसरों के विस्तारित दायरे को देखते हुए, योग अध्ययन एवं मानव चेतना विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता निम्नानुसार बढ़ाया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित सीटें
1	योग प्रशिक्षक सर्टिफिकेट कोर्स	250
2	योग शिक्षा एवं मानव विज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा	50
3	स्नातक (प्राकृतिक चिकित्सा) एवं योगिक विज्ञान	30
4	मास्टर इन योग स्टडीज एण्ड थेरेपी मैनेजमेंट	30

उक्त प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कुलगुरू महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत कुलगुरू महोदय को प्राप्त विशेष शक्तियों के अंतर्गत दिनांक 19.05.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 19.05.2026 विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय — पुष्टि की गयी ।

(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2026 के निर्णय संख्या 11 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 114वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2026 के निर्णय संख्या 03 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के Program of Learning (पाठ्यक्रम) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार लागू करने हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2026/ 13911 दिनांक 22.04.26 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया था । उक्त अध्यादेश के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर उक्त अध्यादेश में कुछ आवश्यक संशोधन (कार्यसूची का परिशिष्ट-38 एवं 39) किये जाने की महत्ती आवश्यकता महसूस होने पर — शैक्षणिक-I

	प्रभारी-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के द्वारा कुलगुरू महोदय को वांछित आवश्यक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रस्ताव को कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत दिनांक 16.03.2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 16.03.2026 विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 04	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.02.2026 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-21)	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 05	कुलगुरू महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षो, अधिकारियो एवं स्टॉफ मेम्बर्स के साथ हुई बैठक दिनांक 26 मई, 2026 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत संचालित 02 क्रेडिट वाली परीक्षाओं में परीक्षा अवधि 1:30 घण्टे किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एक एवं दो क्रेडिट वाले प्रश्न-पत्रों की परीक्षा अवधि 1:30 एवं दो से अधिक क्रेडिट वाले प्रश्न-पत्रों की परीक्षा अवधि 3:00 घण्टे की जाये ।	
मद सं0 06	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता एवं व्यावसायिक तत्परता को बढ़ावा देने, संरचित हस्तक्षेपों के माध्यम से अकादमिक एवं उद्योग जगत के मध्य अंतर को कम करने, संप्रेषण कौशल, डिजिटल साक्षरता एवं व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करने, नैतिक मूल्यों, नेतृत्व गुणों एवं उद्यमशीलता की भावना का संवर्धन करने, कौशल भारत (SKILL INDIA) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करने एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नवाचार, शोध एवं परामर्श गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिनिशिंग स्कूल हेतु आर्डिनेंस (कार्यसूची का परिशिष्ट-22) को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव कुलगुरु महोदय	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन

	के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुलगुरु महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.05.2026 को आदेश प्रदान किये गये। अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त अध्यादेश के बिन्दु संख्या 5.2 में **"Serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. "** के स्थान पर **"Only serving and superannuated Professors from reputed HEIs shall be eligible. "**का संशोधन करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 07	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में विभिन्न विभागों में उपलब्ध नियमित शिक्षकों की कमी की पूर्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने, उच्च स्तर की विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराने इत्यादि के उद्देश्य से Engagement of Recognised Professors across All DISCIPLINES लागू किये जाने हेतु Ordinance for Engagement of Recognised Professors of Maharshi Dayanand Saraswati, University Ajmer (कार्यसूची का परिशिष्ट-23) को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव कुलगुरु महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुलगुरु महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.05.2026 को आदेश प्रदान किये गये। अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 08	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में नियमित शिक्षकों की कमी के कारण से प्रभावित शिक्षण कार्य की निरन्तरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने, योग्य मानव संसाधनों का लचीले एवं आवश्यकता - आधारित तरीके से सुनिश्चित करने, स्ववित्तपोषित विभागों तथा शिक्षकों की कमी वाले नियमित विभागों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ बनाने एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को विद्या संबल के अनुरूप मानदेय योजना तथा अन्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Remuneration of Guest Faculty ऑर्डिनेंस (कार्यसूची का परिशिष्ट-24) को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव कुलगुरु महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुलगुरु महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.05.2026 को आदेश प्रदान किये गये। अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन

निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 9	विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 के कार्यवृत्त के मद संख्या 06 पर निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रांक D-O-/No.1-6/2007 (CPP-II) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की अनुपालना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रेषित पत्र के साथ संलग्न गाईडलाइन के बिन्दु संख्या 02, 03, 04 एवं 05 को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों, अधिकारियों एवं स्टॉफ मेम्बर्स के साथ हुई बैठक दिनांक 26 मई, 2026 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 32 "Dual Degree" के क्रम में सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्रांक D-O-/No-1-6/2007(CPP-II) दिनांक 30 सितम्बर, 2022 की अनुपालना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के दो शैक्षणिक पाठ्यक्रमों साथ-साथ सतत अध्ययन हेतु वर्तमान में लागू अध्यादेश 168-A एवं 168-B के स्थान पर संलग्न (कार्यसूची का परिशिष्ट-25) गाईडलाइन को प्रवृत्त मान्य किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 10	निजी महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाते समय परीक्षा कराने के स्थान का भौतिक निरीक्षण कराने के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है । तदुपरान्त निजी महाविद्यालयों का पता राज्य सरकार से प्राप्त नये पते के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) व विश्वविद्यालय द्वारा जारी नये पते के कार्यालय आदेश के आधार पर संबंधित महाविद्यालय का नये पते पर संचालित परीक्षा केन्द्र का भी पूर्व प्रक्रियानुसार शुल्क वसूल करके परीक्षा केन्द्र के भौतिक निरीक्षण करवाये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	

मद सं0 11	कुलगुरू महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्ष/अधिकारी/कर्मचारी (संबंधित) के साथ 26 मई, 2026 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में वर्ष में दो बार प्रवेश की कार्यवाही किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-II
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 12	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थान परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही की जाती रही है । महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार स्थान परिवर्तन की कार्यवाही करने हेतु प्रचलित नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करते हुए महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन करने की कार्यवाही करने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-II
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजकीय महाविद्यालयों के द्वारा स्थान परिवर्तन संबंधी अधिसूचना/आदेश विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने पर उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाये तथा शेष महाविद्यालयों हेतु उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 13	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्यो के वार्षिक क्रिया-कलापों में समरूपता लाने हेतु एवं प्रक्रिया को समयानुसार, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु अकादमिक कलैण्डर-2026-27 (कार्यसूची का परिशिष्ट-26) को प्रवृत्त एवं मान्य करते हुए विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.06.2026 को आदेश प्रदान किये गये । अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर बैठक के दौरान उपलब्ध कराये गये नवीन अकादमिक कलैण्डर 2026-27 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करने का निर्णय लिया गया ।	

मद सं0 14	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (17) शिक्षा-4/2023/CLEARS-02101 जयपुर दिनांक 21.02.2025, जो कि चुनावी शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जोड़ने से संबंधित था, पर विद्या परिषद् की 79वीं बैठक दिनांक 28.08.2025 के मद संख्या 06 पर लिये गये निर्णयानुसार गठित समिति द्वारा कार्यवृत्त में अनुशंसा की गयी थी । विद्या परिषद् के निर्णय की अनुपालना में गठित समिति द्वारा बैठक दिनांक 04.10.2025 के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट-27) को विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27.01.2026 के मद संख्या 05 पर प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया । उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार इस प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करने के प्रयासों तथा मूल अंकतालिका में प्राप्तांको को सम्मिलित करने संबंधी निर्णय लेने हेतु एक समिति का गठन किये जाने बाबत् पत्रावली कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी । समिति के कार्यवृत्त में वांछित संशोधन अपेक्षित होने के कारण कुलगुरू महोदय द्वारा पत्रावली पर पुनर्समीक्षा के आदेश प्रदान किये गये । कुलगुरू महोदय के आदेश की अनुपालना में समिति की पुनः बैठक आयोजित की गयी । समिति की बैठक दिनांक 30.04.2026 का कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट-28) कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने पर कुलगुरू महोदय के द्वारा दिनांक 02.06.2026 को आदेश प्रदान किया गया कि उक्त रिपोर्ट (कार्यवृत्त) को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश की अनुपालना में चुनावी शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जोड़ने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.04.2026 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 15	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया तथा भारतीय ज्ञान परम्परा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में "महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वदेशी कंसोर्टियम (MDSSC)" की स्थापना प्रस्तावित है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-29) इस कंसोर्टियम का उद्देश्य विश्वविद्यालय में नवाचार, उद्यमिता, स्वदेशी अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप संवर्धन तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली को	डॉ. आशीष पारीक

	प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, उद्योग जगत तथा स्थानीय समुदायों के मध्य प्रभावी सहयोग स्थापित किया जाएगा। कंसोर्टियम के प्रमुख घटकों में नवाचार केन्द्र, इन्क्यूबेशन केन्द्र, अनुसंधान पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम, कौशल विकास मंच, स्वदेशी ज्ञान नेटवर्क तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रकोष्ठ शामिल होंगे। इस मंच के माध्यम से विश्वविद्यालय में नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे, पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विश्वविद्यालय स्वदेशी नवाचार एवं भारतीय ज्ञान आधारित विकास के अग्रणी केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। अतः विद्या परिषद् से अनुरोध है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में "महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वदेशी कंसोर्टियम (MDSSC)" की स्थापना को अनुमोदित करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	विश्वविद्यालय में महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वदेशी कंसोर्टियम (MDSSC) की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमादन किया गया ।	
मद सं0 16	विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता, स्वास्थ्यकर वातावरण एवं पर्यावरणीय जागरूकता को प्रोत्साहित करने, विद्यार्थियों में विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों के प्रति उत्तरदायित्व एवं अपनत्व की भावना विकसित करने तथा खेल मैदानों, शैक्षणिक परिसरों एवं सामान्य उपयोग के क्षेत्रों के नियमित रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुलगुरु महोदय की स्वीकृति दिनांक 13.05.2026 की अनुपालना में "मेरा विश्वविद्यालय, मेरी जिम्मेदारी" स्कीम (कार्यसूची का परिशिष्ट-30) लागू की जानी है। उक्त स्कीम के संबंध में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण
निर्णय	विश्वविद्यालय परिसर में "मेरा विश्वविद्यालय, मेरी जिम्मेदारी" स्कीम को लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 17	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी Public Notice No: NCTE/REG/1012/2026/MS (NCTE) Comp No- 89999/ITEP दिनांक–07.05.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-31) के तहत चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (1) B.A. B.Ed. (04 Year Course) एवं (2) B.Sc. B.Ed. (04 Year Course) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।	प्रभारी शिक्षा

	उपरोक्त आम सूचना के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्तानुसार INTEGRATED TEACHER EDUCATION PROGRAMME में बी.ए. बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम एवं बी.एससी. बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्धारित पोर्टल पर कुलगुरु महोदय की अनुमति दिनांक 19.05.2026 से आवेदन किया गया एवं इस संबंध में विश्वविद्यालय में INTEGRATED TEACHER EDUCATION PROGRAMME में बी.ए. बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम (दो यूनिट) एवं बी.एससी. बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम (दो यूनिट) प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमति मिलने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 18	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी Public Notice No: NCTE/REG/1012/2026/MS (NCTE) Comp No- 89999/ITEP दिनांक 07.05.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट-32) के तहत दो वर्षीय पाठ्यक्रम B.P.Ed. हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उपरोक्त आम सूचना के परिप्रेक्ष्य में दो वर्षीय पाठ्यक्रम B.P.Ed. प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्धारित पोर्टल पर कुलगुरु महोदय की अनुमति से आवेदन किया गया एवं इस संबंध में विश्वविद्यालय में दो वर्षीय पाठ्यक्रम B.P.Ed. नवीन विभाग के तहत प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	प्रो. अरविन्द पारीक
निर्णय	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमति मिलने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 19	In view of the establishment of the office of Director Research, the role and functions relating to research planning, coordination, supervision, regulation, and academic monitoring are now being effectively discharged by the said office. Historically, the inclusion of the Dean, P.G. Studies in the Research Registration Committee and other research-related statutory/administrative bodies was necessitated due to the absence of a dedicated research administrative authority. However, with the formal creation and operationalization of the office of Director Research, the continued inclusion of the Dean, P.G.	शोध अनुभाग

	Studies in such bodies has become functionally redundant and administratively repetitive. The present arrangement results in overlapping responsibilities and avoidable procedural duplication, which may impede administrative efficiency and research governance. Since the Director Research is specifically entrusted with the responsibility of overseeing and coordinating all matters pertaining to research activities, research policy implementation, doctoral regulations, and quality assurance in research administration, the representation of Dean, P.G. Studies in these committees no longer serves any distinct operational purpose. Therefore, in order to streamline the research governance framework, ensure administrative clarity, and align institutional structures with contemporary academic requirements, it is proposed that: **"The Research Registration Committee be reconstituted without Dean - P.G. Studies. Consequent upon this, all other committees, boards, or statutory bodies shall function without Dean - P.G. Studies. The Director Research shall henceforth serve as the designated academic authority for all such research-related committees and functions."** The Academic Council is therefore requested to consider and approve the above proposal and recommend suitable amendments in the relevant provisions for implementation.	
निर्णय	उक्त मद को प्रत्याहरित किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 20	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रातः 10.00 बजे प्रार्थना हे प्रभु ज्ञान ज्योति के आधार............कर दो उज्ज्वल और साकार, को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद् के समक्ष रखने हेतु दिनांक 15.06.2026 को आदेश प्रदान किये गये । अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 21	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर एक Value Added Course (VAC of 1 Credit) जिसका शीर्षक "Vedic Vision of Maharshi Dayanand Saraswati" आगामी अकादमिक सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ताकि जिस महापुरूष के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है उनके	महर्षि दयानन्द सरस्वती यू.जी.सी. चैयर

	जीवन एवं वैदिक दृष्टिकोण के ज्ञान से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा सके । उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 22	It is proposed to establish a quality enhancement fund for the affiliated colleges of MDS University, Ajmer with the objective of promoting academic excellence, quality assurance and institutional capacity building among the colleges. In this regard an ordinance is proposed to be formulated which shall be called **"Affiliated Colleges Capacity Building and Quality Enhancement Fund Ordinance".** The fund shall be utilized for training, orientation for effective implementation of NEP-2020, capacity building and professional development of teachers, principals and administrative staff, promotion of best practices, academic reforms, organization of seminars, workshops and quality enhancement programmes etc. This proposal is submitted for consideration and approval of the Academic Council.	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	विश्वविद्यालय में **Affiliated Colleges Capacity Building and Quality Enhancement Fund** गठन के प्रस्ताव का सिद्धान्तः अनुमोदन किया गया तथा अध्यादेश तैयार करने हेतु समिति का गठन करने के लिए कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 23	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आगामी दीक्षान्त समारोह में निम्नलिखित प्रख्यात/प्रतिष्ठित विद्वानों को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की सर्वोच्च उपाधि डी.लिट. (मानद) से सम्मानित कराया जाना प्रस्तावित है:- 1. सुश्री इन्दुमति काटदरे-प्रसिद्ध समाज सेविका 2. स्वामी गोविन्द गिरी महाराज-प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरू 3. आचार्य देवव्रत-राज्यपाल, गुजरात 4. प्रोफेसर एम.जगदेश कुमार-भूतपूर्व यू.जी.सी. चैयरमैन उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा डी.लिट. (मानद) उपाधि प्रदान करने हेतु नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किये जाने का	

	निर्णय लिया गया । समिति का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 24	The Academic Council is requested to consider and approve the proposal and regulations for the Promotion, Governance, and Award of degrees in Interdisciplinary, Multidisciplinary, and Trandisciplinary Research, and to authorize the University to incorporate necessary amendments in relevant Ordinances and Research Regulations for implementation from the forthcoming academic session. (Ord. 124.6.5 Ph.D. Admission 3.5) (कार्यसूची का परिशिष्ट-33)	शोध
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 25	In order to promote a strong research culture, enhance externally funded research activities, and strengthen the academic and research profile of the University in national assessment frameworks such as NAAC and NIRF, the following proposal "Research Incentive Scheme for faculty members securing major externally funded sponsored research projects" is submitted for consideration and approval of the Academic Council. (कार्यसूची का परिशिष्ट-34)	शोध
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि **Research Incentive Scheme** की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर प्रकरण पुनः आगामी बैठक में रखा जाये ।	
मद सं0 26	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी उपाधियों के संदर्भ में उपाधि सुधार विनियम 2026 को कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-35) अतः कुलगुरू महोदय के आदेशानुसार विद्या परिषद् के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	उपाधि
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 27	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में सचिव माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय, लोकभवन राजस्थान, जयपुर से जारी आदेश दिनांक	सामान्य प्रशासन

<table>
<tr><td></td><td>03.02.2026 के क्रम में राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप-4 विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2026 के संदर्भित समान मॉडल अकादमिक कलेण्डर एवं अवकाश कलेण्डर 2026-27 को विश्वविद्यालय में प्रवृत एवं मान्य किया जाना है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-36)

अतः कुलगुरू महोदय के आदेश के क्रम में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।</td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>उक्त समान मॉडल अकादमिक कलेण्डर एवं अवकाश कलेण्डर 2026-27 को विश्वविद्यालय में प्रवृत एवं मान्य करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं0 28</td><td>शोध अध्यादेश 124.18.01 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:-
<table>
<tr><th>Ord. No.</th><th>Existing</th><th>Proposed</th></tr>
<tr><td>124.18.01</td><td>The language of the thesis shall be either Hindi and English except for the thesis submitted in the area of language such as English, Sanskrit, Urdu, Sindhi etc. and shall contain a critical account of the research work carried out by the research scholar. It shall be characterized by discovery of facts or fresh approach towards interpretation of facts and theories or significant contribution to knowledge.</td><td>The language of the thesis shall be either Hindi and English except for the thesis submitted in the area of language such as English, Sanskrit, Urdu, Sindhi etc. and shall contain a critical account of the research work carried out by the research scholar. It shall be characterized by discovery of facts or fresh approach towards interpretation of facts and theories or significant contribution to knowledge.
Research work submitted to Maharshi Dayanand Saraswati University shall contain a mandatory :-
(1) First Chapter on Indian Knowledge Systems (IKS) relevant to the research topic.
(2) Further, the concluding chapter shall compulsorily include a section titled 'Policy Implications, Societal Relevance, and Practical Utility of the Research,' containing not</td></tr>
</table></td><td>शोध</td></tr>
</table>

	less than twenty actionable recommendations derived from the research findings. Compliance with these provisions shall form an integral component of thesis evaluation and award of the degree. The above agenda to be put before Academic Council for consideration and approval.	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर **"Research,' containing not less than twenty actionable"** के स्थान पर **"Research,' containing not less than ten actionable"** के संशोधन के साथ उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 29	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत विभाग की स्थापना करने एवं विश्वविद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्षीय चार सेमेस्टर वाला एम.ए. संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया:- This is to propose establishing the Department of Sanskrit at the University Campus from the academic session 2026-27. Further, proposed for offering Master of Arts in Sanskrit (M.A. Sanskrit) two Years / four Semesters programme from the academic session 2026-27, as per the Syllabus prevalent at our university. SFS Programme. Seats: 30. Eligibility for admission in M.A. - PreviousYear!Semester 1: Bachelor of Arts with atleast 48% marks with Sanskrit, as a major Subject. (Relaxation in minimum desired percentage, as per the Govt Rules). S.F.S. Fee: Rs 15000/- (similar as of Geography, Mathematics) + (A).University Fee Rs1100/- + (C). Tuition Fee Rs 350/- + Professional Faculty Fund Fee Rs 200/-. Short Term Certificate Course: A certificate course for increasing interest & awareness Shall be offered as a two weeks programme (during summer and winter vacation) entitled 'संस्कृत संभाषण वर्ग प्रमाण पत्रम' - anyone interested in Sanskrit shall be permitted to join it. Intake = 30. Course fee = 100/-	शैक्षणिक-I/ डॉ. अश्विनी तिवारी

	कुलगुरू महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15.06.2026 को आदेश प्रदान किये गये । अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की स्थापना कार्यालय आदेश क्रमांक **F ( ) Acad-I/ MDSU/ 2010/ 5999-6068 Dated 22-02-2010** के द्वारा पूर्व में ही की हुई है । अतः विभाग स्थापना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया । 2. विश्वविद्यालय में प्रांरम्भ होने वाले नवीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारण करने हेतु गठित समिति का पुनर्गठन किया जाये । समिति में संबंधित विषय विशेषज्ञ को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाये । 3. विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित स्कीम के तहत एम.ए. संस्कृत पाठ्यक्रंम प्रारम्भ किया जाये । उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता को स्वीकार किया गया । 4. एम.ए. संस्कृत पाठ्यक्रम के प्रवेश शुल्क का निर्धारण, शुल्क निर्धारण समिति से कराया जाये । 5. संस्कृत संभाषण वर्ग प्रमाण पत्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 30	विद्यार्थियों में समग्र शिक्षा, शारीरिक कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग के रूप में योग के प्रसार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में, संबंधित महाविद्यालयों की औपचारिक सहमति के अधीन, योग उप-केंद्र स्थापित किए जाने हैं। यह योग उप-केंद्र विश्वविद्यालय के अनुमोदित योग कार्यक्रमों, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, प्रशिक्षण मॉड्यूल, कार्यशालाओं और संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकृत शैक्षणिक विस्तार केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन योग उप-केंद्रों की स्थापना, कार्यप्रणाली, प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षणिक निगरानी और परिचालन संबंधी जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने वाली विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (SoPs) (कार्यसूची का परिशिष्ट-37) संलग्न हैं। अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में योग उप-केंद्रों की स्थापना	योग विभाग

	किए जाने एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SoPs) पर विचार कर निर्णय करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में योग उप-केंद्रों की स्थापना किए जाने एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SoPs) को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 31	विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रवृत्त एवं मान्य करने हेतु तैयार अध्यादेश में निम्नानुसार प्रस्तावित है:- 1. A revised and brief format Annexure II of the Ordinance about formats for programme of learning and course curriculum etc. may be used to replace the lengthy version approved earlier. (कार्यसूची का परिशिष्ट-40) 2. ग्रेडिंग हेतु अध्यादेश में दिए गये Relative एवं Absolute Grading System के स्थान पर विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि हेतु जारी Absolute Grading System ही लागू की जायेगी । अतः तद्नुसार अध्यादेश में परिवर्तन किया जाना । 3. After the finalization of ordinance in the Academic Council, the ordinances may be allowed for renumbering and preparing a contents list for the final version. 4. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू ऐसे पाठ्यक्रम जो कि सेमेस्टर प्रणाली से लागू नहीं है, को सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप तैयार करवाया जा रहा है । इस हेतु परीक्षा स्कीम (प्रश्न-पत्र का प्रारूप) स्नातकोत्तर स्तर में चल रहे विज्ञान संकाय के अनुरूप ही प्रवृत्त एवं मान्य करना। अतः उपरोक्त प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसर निर्णय लिये गये:- 1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 का अनुमोदन किया गया । 2. बिन्दु संख्या 03 की कार्यवाही कार्यालय स्तर पर पूर्ण की जाये । 3. बिन्दु संख्या 04 का प्रस्ताव, जो कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की	

	परीक्षा स्कीम तैयार करने से संबंधित है, को संकायाध्यक्ष समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	
मद सं0 32	वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग तथा उद्योग एवं व्यापार जगत में डिजिटल विपणन (Digital Marketing) की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह "सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग" विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा इच्छुक अभ्यर्थियों को डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न आयामों, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, कंटेंट मार्केटिंग, ई-मेल मार्केटिंग तथा ऑनलाईन विज्ञापन आदि का व्यावहारिक एवं व्यवसायोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उक्त पाठ्यक्रम उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केंद्र के माध्यम से स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित किया जाएगा तथा इसके पाठ्यक्रम, अवधि, प्रवेश क्षमता, शुल्क एवं अन्य संचालन संबंधी प्रावधान पृथक रूप से निर्धारित किए जाएंगे। अतः उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केंद्र के अंतर्गत "सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग" प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केंद्र
निर्णय	उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केंद्र के अंतर्गत "सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग" प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इसके पाठ्यक्रम निर्माण, अवधि, प्रवेश क्षमता, शुल्क एवं अन्य संचालन संबंधी प्रावधान, संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 33	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर Value Added Courses (VAC)-8 credit (2+2+2+2), Ability Enhancement Courses (AEC)-8 credit (3 credit Hindi + 2 credit Sanskrit + 3 Credit English) एवं Skill Enhancement Courses (SEC)-9 Credit (3+3+3) के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु समितियों के गठन हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन
निर्णय	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर Value Added Courses (VAC)-8 credit (2+2+2+2), Ability Enhancement Courses (AEC)-8 credit (3 credit Hindi + 2 credit Sanskrit + 3 Credit English) एवं Skill Enhancement Courses (SEC) -9 Credit (3+3+3) हेतु तैयार करवाये गये पाठ्यक्रमों को संकायाध्यक्ष समिति के समक्ष अनुशंसा	

	करने हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया । डॉ. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय को संयोजक-संकायाध्यक्ष समिति नियुक्त किया गया ।	
मद सं0 34	विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में SWAYAM ऑनलाईन पोर्टल के माध्यमम से MOOC कोर्सेज को, क्रेडिट अन्तरण (Credit Transfer) सहित लागू किए जाने हेतु "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महत्वाकांक्षी युवाओं हेतु सक्रिय ज्ञानार्जन के अध्ययन वेब के माध्यम से ऑनलाईन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट रूपरेखा) विनियम 2021" (UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations 2021) को अंगीकृत एवं लागू करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 35	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights) की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु एक अध्यादेश बनाया जाना प्रस्तावित है । इस अध्यादेश के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु अध्यादेश तैयार करने के लिए समिति का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 36	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में AEC पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत Online Courses के निर्माण एवं उक्त पाठ्यक्रम सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किये जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।	
मद सं0 37	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्वदेशी Consortium हेतु पाठ्यक्रम एवं Internship प्रोग्राम संचालन करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	डॉ. आशीष पारीक/ शैक्षणिक-I

निर्णय	स्वदेशी Consortium में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की संख्या निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः- 1. डॉ. राधेश्याम चौयल 2. प्रो. शिव प्रसाद 3. प्रो. ऋतु माथुर	

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

कुलगुरू

कुलसचिव